राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ।

दिनांक 8 अगस्त, 1990 को प्रातः 11.30 बजे कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा-जयपुर में आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की बैठक का कार्यवृत :-

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :-

1. डा. एस. एन. सक्सेना ------ अध्यक्ष
2. श्री एम. एल. मेहता
3. श्री हनुमान प्रसाद
4. श्री सी. एस. राजन
5. डा. आचार्य हरेश सी. सांवरिया
6. श्री एम. एल. शर्मा (शिक्षा सचिव के प्रतिनिधि)
7. डा. जी. एस. शेखावत
8. डा. ओ. एस. राठौड
9. डा. पी. आर. जटकर
10. डा. के. के. जैन
11. डा. बी. एल. बसेर
12. श्री युसूफ अली
13. श्री राम गोपाल चौधरी
14. श्री टी. पन्त
15. श्री सुनील धारीवाल (सदस्य सचिव)

आमंत्रित सदस्य

1. श्री बी. एस. उज्वल
2. डा. जे. एस. भाटिया
3. डा. के. बी. शर्मा
4. श्री गोपाल शर्मा

डा. पाण्डे बी. बी. लाल ने बैठक में भाग लेने में अपनी असमर्थता प्रकट की तथा डा. टी. पी. ओझा बैठक में भाग लेने में असमर्थ रहे ।

कार्यसूचि पर विचार विमर्श के पूर्व कुलपति ने नये सदस्यों के रूप में बैठक में प्रथम बार भाग लेने पर उनका स्वागत किया और विश्वास व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय की प्रगति में उनका सक्रिय योगदान मिलता रहेगा ।

राकृवि/प्रबो-17/ 90-3/223 — गत बैठक दिनांक 27 मार्च, 1990 के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की जाय ।

राकृवि/प्रबो-17/ 90-3/224 — दिनांक 27 मार्च, 1990 की बैठक में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति पर विचार किया गया ।
निर्णय लिया गया कि बैठक की क्रियान्विति को आलोकित किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-17/90-3/225

गत बैठक 27 मार्च, 1990 के पश्चात् कुलपति द्वारा प्रसारित विभिन्न आदेशों का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

निर्णय लिया गया कि कुलपति द्वारा प्रसारित आदेशों को निम्न टिप्पणी के साथ आलोकित किया जाय :-

आदेश संख्या एफ. 155/स्था/90/880-88 दि. 26/27. 6. 90 के द्वारा श्री रणजीत सिंह, विशेषाधिकारी (सेवा निवृत आर. ए. सीएस.) की सेवा अवधि 30. 9. 90 तक बढ़ायी गई है, पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया ।

सदस्यों का मत रहा कि 30. 9. 90 के पश्चात् इनकी सेवा अवधि नहीं बढ़ायी जाय तथा शेष रहे कार्य को अनुबंध के आधार पर कराया जाय । श्री रणजीत सिंह द्वारा अब तक किये गये कार्यों की उपलब्धियों का मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार कराया जाकर प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-17/90-3/226

महामहिम कुलाधिपति द्वारा पूर्व कुलपति डा. के. एन. नाग के कार्यकाल की जांच हेतु एकल सदस्यीय तथ्यान्वेषण समिति के गठन के आदेश क्रमांक एफ(27)/2/आरबी/87 दिनांक 25. 6. 90 तथा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 1(1)(कार्मिक(क-4)/90 दिनांक 16. 5. 90 व प. 5(1)(कार्मिक(क-1)/90 दिनांक 30. 6. 90 द्वारा कुल सचिव के स्थानान्तरण आदेश प्राप्त हुए ।

निर्णय लिया गया कि आदेशों को आलोकित किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-17/90-3/227

दिनांक 2 फरवरी, 1990 व मार्च 21-22, 1990 को आयोजित की गई अधिष्ठाता परिषद् की बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् सदस्यों का मत रहा कि अधिष्ठाता परिषद् के कार्यवृत तथा महत्वपूर्ण निर्णयों को अलग से दर्शाते हुए बैठक की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाय । कृषि उत्पादन सचिव ने सुझाव दिया कि कार्यवृत को स्पष्ट इंगित करते हुए तैयार किया जाना चाहिए जिसमें निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाय :-

1. वह बिन्दु जिन पर प्रबन्ध मण्डल का निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं ।
2. वह बिन्दु जिन पर केवल पुष्टि की जानी हैं ।
3. वह बिन्दु जिन पर कोई निर्णय अथवा पुष्टि नहीं की जाकर केवल मण्डल को सूचित किया गया हैं ।

उक्त सुझाव पर सभी सदस्यों ने सहमति प्रकट की ।

.......3.

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि अधिष्ठाता परिषद् की बैठक के कार्यवृत को उक्त सुझावों के अनुरूप तैयार कर मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

राकृवि/पुबो-17/90-3/228 श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में चल रहे केन्द्रीय विद्यालय (पूर्व बाल मंदिर) के कर्मचारियों से मकान किराया वसूल किये जाने हेतु अधिष्ठाता का प्रस्ताव प्राप्त हुआ ।

विचार विमर्श के पश्चात् यह मत प्रकट किया गया कि केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों से उतना ही मकान किराया वसूल किया जाय जितना कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवास में रहने पर जमा कराया जाता है ।

राकृवि/पुबो-17/90-3/229 दिनांक 20 अप्रेल, 1990 व दिनांक 2 जुलाई, 1990 को आयोजित स्थापना समिति की बैठक के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि स्थापना समिति की बैठकों में लिए गये निर्णयों को निम्न संशोधन के साथ आलोकित किया जाय ।

कनिष्ठ लिपिकों के चयन प्रक्रिया हेतु सदस्यों का मत रहा कि उच्च न्यायालय के आदेश से जो जोब टैस्ट लिया गया है उसके परीक्षण का आधार वही माना जाय जो पूर्व में कनिष्ठ लिपिकों के विज्ञापित पदों पर चयन हेतु टाईप टैस्ट का रखा गया था । पुनः विज्ञापित कनिष्ठ लिपिकों के पदों हेतु चयन प्रक्रिया का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग के समानान्तर रखा जाय दिनांक 1.8.90 को जिन केज्यअल कनिष्ठ लिपिकों ने 180 दिन से अधिक की सेवाएँ अवधि पूरी कर ली है उनको नियमित नियुक्ति के लिए किये जाने वाली परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाय । सदस्यों का यह मत भी रहा कि 1.8.90 को जिन केज्यअल कनिष्ठ लिपिकों की सेवा अवधि 180 दिन या उससे कम हैं, उन्हें तरन्त प्रभाव से हटा दिया जाय तथा उन्हें भी नियमित नियुक्ति के लिये होने वाली परीक्षा में बैठने दिया जाय भले ही उन्होंने निर्धारित तिथि में प्रवेश परीक्षा के लिये आवेदन पत्र नहीं दिया हो ।

राकृवि/पुबो-17/90-3/230 वित्त समिति की बैठक दिनांक 24.3.90 व 28.3.90 के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि कार्यवृत के मुख्य बिन्दुओं पर जो प्रकाश डाला गया है वह अपूर्ण एवं भ्रामक हैं, क्योंकि वित्त समिति कोई निर्णायक समिति नहीं है, अतः इसमें लिये गये निर्णय सिफारिश के तौर पर ही आने चाहिये ।

.....4.

सदस्यों का यह भी मत रहा कि कार्यवृत को पुन: मद संख्या प्रबो-17/90-3/227 में वर्णित सुझावों के अनुसार प्रस्तुत किया जाय । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि वित्त समिति द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों को प्रश्न पत्र बनाने हेतु देय मानदण्ड निम्नानुसार पुनरीक्षित दर से प्रदान किये जाय ।

निम्नलिखित के पूर्ण प्रश्न पत्र बनाने के लिए :-

अ) बी. एस. सी (एग्री)/बी. एससी (कृषि/बी. एससी. (दुग्ध विज्ञान) बी. वी. एससी एण्ड ए. एच/ बी. ई. (एग्री) ----------रू. 100/-

ब) प्रत्येक खण्ड अथवा आधा प्रश्न पत्र बनाने हेतु रू. 50/-

राकृवि/प्रबो-17/ 90-3/231

/ अनुसंधान परिषद् के सभी केन्द्र व संस्थानों में कृषि

डा. किर्ति सिंह, कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त पत्र जिसमें उन्होंने निदेशकों की संगोष्ठी में यह तय किये जाने का हवाला दिया है कि भारतीय कृषि / विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों और अधिकारियों से अतिथि गृह की वही दर वसूल करेंगे जो स्वंय के कर्मचारियों से वसूल किया करते हैं । उसी प्रकार कृषि विश्वविद्यालयों के अतिथि गृहों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों व अधिकारियों से भी कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के समकक्ष दर वसूल किये जाने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-17/ 90-3/232

अध्यापकों को उपार्जित अवकाश में से नकद भुगतान हेतु समर्पित अवकाश तथा आधे दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ ।

विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि अध्यापकों को प्रति वर्ष उपार्जित अवकाश का लाभ निम्न प्रकार से देय होगा

1. कुल उपार्जित अवकाश - 15 दिन का
2. नकद भुगतान हेतु मान्य - 8 दिन का
3. उपार्जित अवकाश जो उपभोग न करने की स्थिति में स्वत: समाप्त माना जायेगा - 7 दिन का ।
4. समर्पित अवकाश नकद भुगतान हेतु दो वर्ष में एक बार अधिकतम 30 दिन का । (एक बार) सेवा निवृति पर अधिकतम 180 दिन का उपार्जित अवकाश नकद भुगतान हेतु मान्य ।

अध्यापकों को आधे दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत न किये जाने का निर्णय लिया गया ।